



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092025-266236
CG-DL-E-18092025-266236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4092]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 4092]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ. 4209(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4066 तारीख 19/09/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के जळगाव जिले में NH53 के कि.मी. 360 से कि.मी. 422.7 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 23/10/2024 को “लोकमत” और “थे इंडियन एक्सप्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जळगाव ज़िले में NH53 के कि.मी. 360 से कि.मी. 422.7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		ज़िले का नाम: जळगाव			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भुसावल					
गांव का नाम: काढुरखेडे					
1	121	निजी	एग्रीकल्चर	0.18	सीताराम अर्जुन गवई 121/1
2	122	निजी	एग्रीकल्चर	0.05	ज्ञानदेव कौतिक नेहेते, भागवत कौतिक नेहेते, अशोक कौतिक नेहेते, नामदेव तुकाराम नेहेते 122/1/A, 122/2/A
3	123/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.07	ज्ञानदेव कौतिक नेहेते, भागवत कौतिक नेहेते, अशोक कौतिक नेहेते, 123/1
गांव का नाम: बोहार्डी खुर्द					
4	14/2/2	निजी	एग्रीकल्चरल	0.12	मुरलीधर ओंकार पाटिल 14/2/2/1
5	16/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.14	मोहन जगन्नाथ सोनार, चंदुलाल जगन्नाथ सोनार, अनिल जगन्नाथ सोनार, विलास जगन्नाथ सोनार, शाम जगन्नाथ सोनार, सुहास जगन्नाथ सोनार, 16/2
गांव का नाम: बोहार्डी बु.					
6	144/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.035	महेश ज्ञानदेव वायकोळे 144/1
गांव का नाम: तलवेल					
7	1055/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	चारुलता सुशील पाटिल 1055/1

8	109/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	सुनीता किशोर लधे, युनिता महेश वायकोळे 109/1
9	53	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	पंद्रीनाथ शंकर पाटिल, मुश्ताक अली सैयद लाल 53/1/1
गांव का नाम: निम्बोरे बु					
10	46	निजी	एग्रीकल्चर	0.05	अशोक आवसु भिरुड, शांताराम अवसु भिरुड, आसाराम अवसु भिरुड 46/1
गांव का नाम: वरणगांव (CT)					
11	413/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0505	अनिल वासुदेव झोपे, शंकर वासुदेव झोपे 413/1
12	523/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.1	प्रकाश सुपद्म धनगर, विनायक सुरेश धनगर, पवन सुरेश धनगर 523/1
Total				0.8455	

[फा. सं. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4209(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4066 Dated:19/09/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 360 to Km. 422.7 in the district of JALGAON in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” and “Lokmat” both dated 23/10/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 in the stretch of land from Km. 360 to Km. 422.7 in the district of JALGAON in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: JALGAON		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhusawal					
Village: Kahurkhede					
1	121	Private	Agriculture	0.18	Sitaram Arjun Gavai 121/1
2	122	Private	Agriculture	0.05	Dnyandev Kautik Nehete, Bhagawat kautik Nehete, Ashok Kautik Nehete, Namdev Tukaram Nehete 122/1/A, 122/2/A
3	123/1	Private	Agriculture	0.07	Dnyandev Kautik Nehete, Bhagawat kautik Nehete, Ashok Kautik Nehete, 123/1
Village: Bohardi Kh					
4	14/2/2	Private	Agricultural	0.12	Murlidhar Onkar Patil 14/2/1
5	16/2	Private	Agriculture	0.14	Mohan Jagannath Sonar, Chandulal Jagannath Sonar, Anil Jagannath Sonar, Vilas Jagannath Sonar, Sham Jagannath Sonar, Suhas Jagannath Sonar, 16/2
Village: Bohardi Bk					
6	144/1	Private	Agriculture	0.035	Mahesh Dnyadeo Vaykole 144/1
Village: Talwel					
7	1055/1	Private	Agriculture	0.01	Charulata Sushil Patil 1055/1
8	109/1	Private	Agriculture	0.03	Sunita Kishor Ladhe, Yunita Mahesh Waykole 109/1
9	53	Private	Agriculture	0.01	Pandharinath Shankar Patil, Mushtak Ali Saiyyad Lal 53/1/1

Village: Nimbhore Bk						
10	46	Private	Agriculture		0.05	Ashok Aavasu Bhirud, Shantaram Avasu Bhirud, Asaram Avasu Bhirud 46/1
Village: Varangaon (CT)						
11	413/1	Private	Agriculture		0.0505	Anil Vaddeo Zope, Shankar Vasudeo Zope 413/1
12	523/1	Private	Agriculture		0.1	Prakash Supadu Dhangar, Vinayak Suresh Dhangar, Pavan Suresh Dhangar 523/1
Total				0.8455		

[F. No. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director